रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(3) राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 10-9-2021

समस्त जिला कलक्टर्स
राजस्थान।

:परिपत्रः

विषयः– **जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में पैरवी के संबंध में।**

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय दीवानी प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष पैरवी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक से नहीं कराई जाकर निजी अधिवक्ताओं से कराई जा रही है जो कि पूर्णतः अनियमित है।

अतः जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों मे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक से ही पैरवी कराई जावे तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक अथवा पैनल लायर से पैरवी कराई जावे। यदि किंसी प्रकरण विशेष में निजी अधिवक्ता की नियुक्ति आवश्यक हो तो विधि विभाग के अनुमोदन पश्चात ही नियुक्ति की जावे।

इस परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री के अशाटीप क्रमांक CM-OSD (GSY)/ LAW/VIP/ 2021/113767 दिनांक 07.09.21 के क्रम में।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री के अशाटीप क्रमांक वि.स/स्वा.शा.न.वि.आ/2021 दिनांक 01.09.21 के क्रम में।
3. समस्त लोक अभियोजक /अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण, राजस्थान।
4. प्रोगामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

10/9/21
(अनुप्रमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि